न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

प्रेमबाई वगै0 बनाम शंकरलाल वगै0

किस्म मुकदमाः– 225/बून्दी मिसल नं0 2025/92

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	अहकाम जो किस हुक्म की तारीख में जारी हुये
27/03/2025	विद्वान अभिभाषक श्री नवैद केसर की ओर से यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लाखेरी जिला बून्दी के प्रकरण संख्या 22/2025 में पारित निर्णय/आदेश दिनांक 07.03.2025 के विरूद्ध पेश की गई है। अपील के साथ स्थगन प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया है। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की एकपक्षीय बहस स्थगन प्रार्थना–पत्र पर अन्तरिम स्थगन हेतु सुनी गई। हमने पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की एकपक्षीय बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय/आदेश दिनांक 07.03.2025 का है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय/आदेश दिनांक 07.03.2025 के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त निर्णय दिनांक 07.03.2025 में अप्रार्थीगण के विरूद्ध वादग्रस्त आराजी के मौके एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किए जाने का आदेश अंकित है तथा आगामी तारीख पेशी 01.05.2025 नियत की हैं। प्रश्नगत आदेश दिनांक 07.03.2025 अंतरिम प्रकृति का आदेश है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आगामी पेशी 01.05.2.25 नियत की है, जो एक माह से अधिक है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सीपीसी के आदेश 39 नियम 03 की पालना किये बिना ही प्रश्नगत आदेश दिनांक 07.03.2025 पारित किया है जो त्रुटिपूर्ण होने से स्थगित किये जाने योग्य है। चुकि प्रकरण का अंतिम रूप से निस्तारण नही हुआ है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन है तथा प्रकरण का गुणावगुण पर निस्तारण होना शेष है। अतः ऐसी स्थिति में अपील के वर्तमान स्तर पर प्रश्नगत प्रकरण मे गुणावगुण पर किसी प्रकार का	

राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 07.03.2025 में सी.पी.सी. के आदेश 39 नियम 3 के अनिवार्य प्रावधानों की पालना नहीं की गई है। अतः हमारे मत में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 07.03.2025 की कियान्विति स्थगित किया जाना उचित प्रतीत होता है। चूंकि प्रकरण अर्जेन्ट नेचर का है अतः प्रकरण का शीघ्र अंतिम निस्तारण किया जाना आवश्यक है। ऐसी स्थिति में हमारे मत में अधीनस्थ न्यायालय को शीघ्र निस्तारण हेतु निर्देशित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 07.03.2025 की कियान्विति स्थगित की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि वह इस आदेश के संज्ञान में आने के उपरांत 30 दिवस के भीतर उभयपक्षकारान को सुनकर प्रकरण का अंतिम रूप से निस्तारण करें। पत्रावली दर्ज रजिस्टर हो तथा फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय आज दिनांक 27.03.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

27/3/25

(मुरलीधर प्रतिहार)

राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

राजस्व अपील प्राधिकारी

राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा